जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामनिवास बाग स्थित ओपन एयर थियेटर एवं ग्रीन एरिया को सार्वजनिक रूप से सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रयोग में लेने हेतु शर्तें

1. किस उपयोग मे दिया जाना है

i. सांस्कृति कार्यक्रम

ii. शैक्षणिक कार्यक्रम

2. कौन–कौन इसको किराये पर ले सकता है

i. कोई भी संस्था, व्यक्ति इत्यादि

3. कितना किराया देना होगा।

i. कार्यक्रम आयोजक द्वारा जिन कार्यक्रमों में आमजन को निःशुल्क प्रवेश दिया जावेगा, उन कार्यक्रमों हेतु आयोजक को 35000 रूपये प्रतिदिन की दर से जयपुर विकास प्राधिकरण को रख–रखाव शुल्क के रूप में राशि जमा करान होगी। आयोजक को यदि आयोजन से पूर्व तैयारी के लिये एक अतिरिक्त दिन चाहिये तो उस दिन के रख–रखाव शुल्क प्रतिदिन 10,000 रूपये जमा कराना होगा। साथ ही आयोजन के समय टूट–फूट व नुकसान की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता की होगी।

ii. कार्यक्रम आयोजक द्वारा जिन कार्यक्रमों में आगन्तुकों को सिर्फ प्रवेश शुल्क या आमन्त्रण पास द्वारा प्रवेश दिया जावेगा, उन आयोजकों को 50 हजार रूपये प्रतिदिन की दर से जयपुर विकास प्राधिकरण को रख–रखाव शुल्क के रूप में राशि जमा करानी होगी। आयोजक को यदि आयोजन से पूर्व तैयारी के लिये एक अतिरिक्त दिन चाहिये तो उस दिन के रख–रखाव शुल्क के रूपये 10,000/– अतिरिक्त जविप्रा को देना होगा।

iii. आयोजक को प्रत्येक कार्यक्रम हेतु रूपये 1.00 लाख अमानत राशि के रूप में जमा कराने होंगे। कार्यक्रम होने के एक सप्ताह उपरान्त आयोजन स्थल पर किसी प्रकार की क्षति न होने की दशा में अमानत राशि आयोजक को लौटायी जा सकेगी।

iv. परिसर के लिये रख–रखाव शुल्क पर सरकार द्वार निर्धारित GST व कोई अन्य कर यदि लागू हो तो नियमानुसार आयोजक द्वारा अतिरिक्त देय होगा।

v. कार्यक्रमों एवं उनकी दर के वर्गीकरण में यदि कोई विरोधाभाष हो तो आयुक्त, जविप्रा, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

vi. परसिर में बुकिंग की दरों का रिवीजन होने पर बढी हुई राशि आयोजक को जमा करानी होगी।

vii. आयोजक को परिसर में कार्यक्रमों के दौरान बिजली का खर्च परिसर में लगे सबमीटर में दर्शाये विद्युत भार के अनुसार पृथक से देना होगा।

4. कार्यक्रम हेतु समय सीमा

i. परसिर में कार्यक्रम के दौरान रात्रि 10.00 बजे के बाद ध्वनियंत्रो (Loud Speaker etc) आदि का उपयोग निषेध रहेगा।

अन्य बाध्य शर्ते

i. एक से अधिक आयोजक द्वारा आवेदन किया जाता है तो कार्यक्रम की महत्ता को ध्यान में रखते हुये आयुक्त जविप्रा के स्तर पर किस आवेदक को वह जगह उपलब्ध करानी है, का निर्णय लिया जाएगा।

ii. आयुक्त जविप्रा को किसी कारणवश (अपरिहार्य कारणों) कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति को वापिस लेने का अधिकार होगा व इस बाबत सम्बन्धित आवेदक कोई हर्जाना आदि का क्लेम नहीं करेगा, इस आशय की अण्डरटेकिंग उससे लेनी होगी।

iii. परिसर में पटाखा, आग जलाना आदि का उपयोग निषेध रहेगा।

iv. निर्धारित स्थान के अतिरिक्त बैनर्स/पोस्टर लगाना/बिना अनुमति स्वागत द्वार या अन्य दस प्रकार की गतिविधि निषेध रहेगी।

v. परिसर की संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजक की होगी।

vi. कार्यक्रम के दौरान व कार्यक्रम समाप्ति के उपरान्त सफाई की जिम्मेदारी आयोजक की होगी।

vii. परिसर मे खाद्य सामग्री (विशेष प्रयोजना पर अधिशाषी अभियन्ता–उद्यान से पूर्व अनुमति लेनी होगी) एवं नशीले पेय पदार्थ ले जाना एव उपयोग करना वर्जित होगा।

viii. परिसर में उपयोग में ली जाने वाली टेबल कुर्सी, ध्वनि यंत्र, लाईट्स, जनरेटर एवं अन्य फर्नीचर तथा सुरक्षा गार्ड आदि की व्यवस्था आयोजक को स्वयं के स्तर से करनी होगी। परिसर में लाई जाने वाल सामग्री की एक सूची आयोजक को सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी ताकि वापसी में उसी के अनुरूप सामान परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति दी जा सके।

ix. अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था एवं विद्युत यंत्र संबंधी समस्त उत्तरदायित्व आयोजक का होगा तथा यंत्रों से संबंधित क्षतिपूर्ति भी आयोजक की ही होगी।

x. परिसर में धुम्रपान का प्रयोग पूर्णतया वर्जित रहेगा।

xi. परिसर में राजनीतिक का राष्ट्र विरोधी कार्यक्रम आयोजित करना निषेध होगा।

xii. परिसर में अश्लील एवं निम्नस्तरीय कार्यक्रम आयोजित कराना निषेध होगा।

xiii. आयोजक अपने कार्यक्रम के लिए स्वयंसेवकों की व्यवस्था स्वयं करेंगे।

xiv. जयपुर विकास प्राधिकरण अधिकारी/कर्मचारी किसी भी समय परिसर का निरीक्षण कर सकेंगे।

xv. परिसर में कार्यक्रम के दौरान पार्किंग की व्यवस्था आयोजक को स्वयं के स्तर पर रामनिवास बाग स्थित अण्डरग्राउण्ड पार्किंग या अन्य कोई उपलब्ध वैकल्पिक स्थान पर करनी होगी।

xvi. परिसर में कार्यक्रम आयोजन करने हेतु अन्य विभागों से किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता होने पर आयोजक को स्वयं के स्तर से लेनी होगी।

xvii. परिसर में किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति देने/नहीं देने का सर्वाधिकार जयपुर विकास आयुक्त के पास सुरक्षित रहेगा।

अधिशाषी अभियन्ता (उद्यान–।)
जविप्रा, जयपुर